2021/47

8

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री शंकरलाल गोयल
मानवाधिकार एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता
निवासी 25 सी सार्दुलपुरा आवासीय कॉलोनी नम्बर 01,
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 26 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.03.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 28.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्रांक सतर्कता / 2000 / 8011 दिनांक 03.05.2000 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही को आदेश दिया था तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदारों को रावल जाति को जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश थे। आदेश पत्रांक 2000 / 564 / 03 फरवरी 2000 एवं क्रमांक सतर्कता 02 के / 204–10 दिनांक 04.05.2000 की पालनार्थ रावल जाति को जारी अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। उक्त आदेशों की पालना में क्या हुई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 28.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्रांक सतर्कता / 2000 / 8011 दिनांक 03.05.2000 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही को आदेश दिया था तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदारों को रावल जाति को जारी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश थे। आदेश पत्रांक 2000 / 564 / 03 फरवरी 2000 एवं क्रमांक सतर्कता 02 के / 204–10 दिनांक 04.05.2000 की पालनार्थ रावल जाति को जारी अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। उक्त आदेशों की पालना में क्या हुई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner